संख्या- 14/2017/ 594 /29-5-2017-5(1)/2017

प्रेषक,

गया प्रसाद कमल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 31 मई, 2017

विषयः- मै0 एग्रीकल्चर रिजनरेशन मल्टी स्टेट को-ऑपारेटिव सोसाइटी लि0 (एग्रीकॉप) तथा मै0 एडवान्स एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एण्ड कन्ज्यूमर डेवलेपमेंट को-ऑपरेटिव लि0(एडको) को गेहूँ खरीद वर्ष 2017-18 में स्टेट एजेन्सी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2275/अ0आ0वि0/गे0ख0-मिसलेनियस/2017-18 दिनांक 26-05-2017,एवं पत्रांक-2276/अ0आ0वि0/गे0ख0-मिसलेनियस/2017-18दिनांक26-05-2017 द्वारा किये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रबी विपणन वर्ष 2017-18 में केन्द्रीयपूल प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या-6/2017/139/29-5-2017-5(1)/2017 दिनांक 31-03-2017 के प्रस्तर 3.2 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश् शासन द्वारा मै0 एग्रीकल्चर रिजनरेशन मल्टी स्टेट को-ऑपारेटिव सोसाइटी लि0 (एग्रीकॉप) तथा मै0 एडवान्स एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एण्ड कन्ज्यूमर डेवलेपमेंट को-ऑपरेटिव लि0(एडको) को गेहूँ क्रय एजेन्सी नामित किया गया है।

2- मै0 एग्रीकल्चर रिजनरेशन मल्टी स्टेट को-ऑपारेटिव सोसाइटी लि0 (एग्रीकॉप) द्वारा 60 क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेगे, 50,000 मी0टन गेहूँ क्रय किया जायेगा तथा गेहूँ खरीद का कार्य उक्त् सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31-03-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

3 मै0 एडवान्स एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एण्ड कन्ज्यूमर डेवलेपमेंट को-ऑपरेटिव लि0 (एडको) द्वारा 50 क्रय केन्द्र स्थापित किये जायेगे, 50,000 मी0टन गेहूँ क्रय किया जायेगा तथा गेहूँ खरीद का कार्य उक्त् सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31-03-2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।

4- मै0 एग्रीकल्चर रिजनरेशन मल्टी स्टेट को-ऑपारेटिव सोसाइटी लि0 (एग्रीकॉप) तथा मै0 एडवान्स एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एण्ड कन्ज्यूमर डेवलेपमेंट को-ऑपरेटिव लि0 (एडको) का गेहूँ क्रय एजेन्सी के रूप में किया गया नामांकन इस शर्त के अधीन है कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय की स्थिति में यदि किसी प्रकार की देयता भविष्य में एग्रीकॉप एवं एडको पर निकलती है, तो उसके लिये राज्य सरकार जिम्मेदार नही होगी।

5- गेहूँ क्रय की व्यवस्था हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी उक्त शासनादेश संख्या- 6/2017/ 139 /29-5-2017-5(1)/2017 दिनांक 31-03-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

6- यह आदेश अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(गया प्रसाद कमल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 14/2017/594(1)/29-5-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

4- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार@॥;k; विभाग।

5- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

6- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले] नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

7- आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

8- निदेशक] राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।

9- आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।

10- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग] 7 बालाकदर रोड, लखनऊ।

11- निबन्धक, सहकारी समितियॉं, उ0प्र0 लखनऊ।

12- कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

13- अपर आयुक्त(विपणन) खाद्य तथा रसद विभाग] लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इस आदेश की प्रति अन्य संबंधित क्रय एजेन्सी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

14 वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग] लखनऊ।

15- समस्त सम्भागीय विपणन अधिकारी/जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उ0प्र0।

16- समस्त सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0।

17- प्रभारी, खाद्य नियंत्रण कक्ष, जवाहर भवन, लखनऊ।

18- खाद्य तथा रसद विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।

19- अध्यक्ष, मै0 एग्रीकल्चर रिजनरेशन मल्टी स्टेट को-ऑपारेटिव सोसाइटी लि0(एग्रीकॉप)110/63 जवाहर नगर, कानपुर-208012

20 अध्यक्ष,मै0 एडवान्स एग्रीकल्चर बायोलॉजिकल एण्ड कन्ज्यूमर डेवलेपमेंट को-ऑपरेटिव लि0 (एडको), एडको हाउस, 127/1/59,डब्लू-1,साकेत नगर, कानपुर- 208014

21- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

22- मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

23- गार्ड फाइल/एन0आई0सी0, लखनऊ।

आज्ञा से

(गया प्रसाद कमल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।